कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा (छ.ग)

फोन एवं फैक्स नं0 07774–224332, ई–मेल: mining.surguja@gmail.com

क्रमांक / 1067 / खनिज / ख.लि.3 / रेत / 2019 अम्बिकापुर,दिनांक 20/08/2019

निविदा आमंत्रण सूचना

(निविदा क्रमांकः– SURGUJA-01-20-08-2019)

सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि जिला सरगुजा अंतर्गत रेत खदान समूहों का आबंटन हेतु बंद लिफाफा में बोली आमंत्रित की जा रही है जिसकी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.chhattisgarhmines.gov.in, www.surguja.gov.in तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सरगुजा संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत भवन के सुचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है। नीलामी (रिवर्स आक्शन) हेतु बोली प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि 10.09.2019 तथा अंतिम तिथि 16.09.2019 में इच्छुक बोलीदार नीलामी (रिवर्स आक्शन) हेतु जिला कार्यालय (खनिज शाखा) में बोली प्रस्तुत कर सकता है।

20/8/19

कलेक्टर
जिला सरगुजा छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा (छ.ग)

फोन एवं फैक्स नं0 07774–224332, ई–मेल: mining.surguja@gmail.com

क्रमांक / 1068/ खनिज / ख.लि.3 / रेत / 2019 अम्बिकापुर,दिनांक 20/08/2019

Event No. - SURGUJA- 01-20-08-2019

निविदा आमंत्रण सूचना

गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा के आबंटन की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रपत्र

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सरगुजा **छत्तीसगढ़** द्वारा छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम–6 के तहत् नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में भाग ले सकता है।

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली, दिनांक 10.09.2019 से 16.09.2019 (07 दिवस) तक जमा की जाएगी। बोली केवल बंद लिफाफा के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय में स्वीकार की जाएगी।

उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु प्रस्तावित समूहों की जानकारी :–

जिले का नाम – सरगुजा

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड / ग्राम / ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10
1	सरगुजा–A	सीतापुर	A-1 राधापुर	5.00 हे.	285	10000/–	100 रू प्रति घ.मी.	1. 200000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 20 प्रतिशत) या 2. 400000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 40 प्रतिशत) सिलिंग प्राईज से 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर	10,00,000 रूपये (1,00,000 रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये)
			A-2 प्रतापगढ	5.00 हे.	1122				

(हस्ताक्षर)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड / ग्राम / ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
								9	10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8		
2	सरगुजा–B	सीतापुर	B-1 भवराडांड	5.00 हे.	448	10000 / –	100 रू प्रति घ.मी.	100000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 20 प्रतिशत) या 2. 200000 रूपये (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का 40 प्रतिशत) सिलिंग प्राईज से 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर	500000 रूपये (1,00,000 रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये)

1.0 महत्वपूर्ण

1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व रेत खदान की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच मार्ग (निजी भूमि होने की स्थिति में) आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति / शिकायतें नीलामी के किसी भी चरण में स्वीकार नहीं की जायेगी।

1.2 प्रत्येक समूह के लिये पृथक–पृथक बोली प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी में प्रस्तुत बोली में समूह विशेष के नाम का उल्लेख नही होने की दशा में या एक ही बोली प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत बोली प्रथम समूह के लिए ही मान्य की जावेगी तथा इस पर किसी भी प्रकार की दावा–आपत्ति स्वीकार्य नही होगा।

1.3 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) से उत्खनन पट्टा प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय, खनि शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

2.0 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति :–

2.1 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत् प्रस्तुत किया जाना होगा अन्यथा नहीं।

2.2 उच्चतम निर्धारित मूल्य से 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में नीलामी के लिए निर्धारित बोली प्रतिभूति (Bid Security) से दोगुना राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

2.3 कंडिका 2.2 के तहत् 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में दुगुनी राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा न पाये जाने पर बोली अपुर्ण एवं निरस्त माना जाएगा।

2.4 उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत के नीचे बोली नहीं लगाई जा सकेगी।

2.5 उच्चतम निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम बोली प्रस्तुत करने पर उक्त बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

2.6 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 9(र) के अंतर्गत जारी निर्देश के अनुसार "जिले में, एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा अधिकतम किसी एक रेत खदान समूह हेतु ही बोली स्वीकार्य की जायेगी। प्रदेश में एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोलियों में से अधिकतम 05 खदान समूहों के लिये ही बोली स्वीकार की जायेगी। इस हेतु उक्त व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को जिला स्तर में एक समूह से अधिक एवं प्रदेश स्तर पर 05 से अधिक समूहों में अधिमानी बोलीदार घोषित होने की स्थिति में प्रस्तुत अन्य बोली, स्वमेव निरस्त मानी जायेगी"।

3.0 <u>उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु पात्रता</u> :–

3.1 किसी भी व्यक्ति को तब तक साधारण रेत का उत्खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी न हो या ऐसी कोई कंपनी न हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं0 18) की धारा 2 के खण्ड (20) के अधीन यथा परिभाषित है और ऐसी शर्तों को पूरी न करता हो, जो इन नियमों द्वारा विहित है। परन्तु कंपनी होने की स्थिति में उसके तीन चौथाई सदस्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।

3.2 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रकिया में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। तकनीकी अर्हता प्राप्त नहीं होने वाले व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोली स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

3.3 अधिमानी बोलिदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

4.0 <u>नीलामी (रिवर्स ऑक्शन)</u> :–

4.1 नीलामी, पारदर्शी पद्धतियों के अनुपालन संबंधी राज्य शासन एवं संचालक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रकिया पूर्ण किया जायेगा।

4.2 बोली प्रस्तुत करने हेतु अर्हित दस्तावेज एवं उद्धृत बोली, बंद लिफाफा में अलग–अलग जमा किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा में एन.आई.टी. में उल्लेखित अर्हित दस्तावेज रहेगा। द्वितीय लिफाफा में वित्तीय बोली रहेगी जिसे प्रथम लिफाफा के भीतर ही डाल कर प्रस्तुत किया जायेगा।

5.0 <u>बोली लगाने के मानक</u> :–

5.1 जिला स्तरीय समिति द्वारा एक निश्चित कीमत निर्धारित करेगा, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) कहा जाएगा। यह राशि निकास किये जाने वाले खनिज के लिए प्रति घन मीटर मानक इकाई होगी।

5.2 बोलीदार द्वारा निलामी राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रूपए प्रति घन मीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) से कम राशि उद्धृत की जाएगी।

5.3 नीलामी (रिवर्स आक्शन) हेतु बोली लगाने के लिये राशि का मानक ईकाई रुपये में होगा।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

5.4 नीलामी राशि, प्रेषित किये गये प्रति घन मीटर खनिज की मात्रा पर राज्य शासन को देय होगी।

6.0 बोली लगाने की प्रकिया :-

6.1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 21 दिवस पूर्व जिले के वेबसाईट/प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला कार्यालय (खनिज शाखा), संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत भवन के सुचना पटल पर प्रदर्शित होगी। जो निःशुल्क अवलोकनार्थ होगा।

6.2 उत्खननपट्टा की नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को नीलामी में निर्धारित प्रकिया अनुरूप आधार कार्ड/पैन/जीएसटीएन/छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाणपत्र (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

6.3 संभावित बोलीदारों को नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के पश्चात् 21 दिन की कालावधि प्रदान की जाएगी। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रकिया प्रारंभ होगी।

6.4 वह बोलीदार जो इस एनआंटी के कंडिका कमांक 2.2 से 2.5 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरुप सिलिंग प्राईज से न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने पर अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जाएगा।

6.5 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में उनके बीच लॉटरी पद्यति अनुसार अधिमानी बोलीदार का चयन किया जाएगा।

6.6 यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्वि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

6.7 लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को होगा।

6.8 बोलीदार नीलामी हेतु अंतिम तिथि (बिड ड्यू डेट) तक अपनी पूर्व में प्रस्तुत की गई बोली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेगा।

6.9 जिला कार्यालय द्वारा न्यूनतम बोली प्रस्तुतकर्ता को लिखित में एवं ई-मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर) घोषित किये जाने की सूचना दिया जायेगा।

6.10 अधिमानी बोलीदार घोषणा तिथि के 15 दिवस के भीतर, बोलीदार द्वारा बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम कमांक 11 अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) जमा किया जाना होगा।

6.11 अधिमानी बोलीदार द्वारा कंडिका 6.10 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी किया जायेगा।

6.12 अधिमानी बोलीदार को जारी आशय पत्र में उल्लेख अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर शर्तो/दस्तावेजो को पूर्ण करने उपरांत सफल बोलीदार घोषित करते हुये उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

6.13 अधिमानी बोलीदार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।

6.14 नीलामी प्रकिया में किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होने पर कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7.0 बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :-

7.1 पैनकार्ड / टिन नंबर / जी.एस.टी नंबर

7.2 शपथ पत्र (एफिडेविट)

7.3 फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/Authorization letter.

7.4 छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र।

7.5 आधार कार्ड (निवास प्रमाणीकरण हेतु)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

परिशिष्ट–'एक'

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए समय सारिणी

क0	गतिविधियां	समयसीमा
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	20.08.2019
2.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की आरंभिक तिथि	10.09.2019
3.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की अंतिम तिथि	16.09.2019
4.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	17.09.2019
5.	निविदा खोलने एवं अधिमानी बोलीदार घोषित करने की तिथि	17.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे
6.	कार्यपालन प्रतिभूति जमा करने की तिथि	01.10.2019
7.	आशय पत्र जारी करने की तिथि	03.10.2019

नोटः– कंडिका 3 से 7 संबंधी निर्धारित समय सारिणी, शासकीय अवकाश होने की दशा में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस में किया जावेगा।

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

परिशिष्ट–दो

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु चिन्हांकित रेत खदानों का विवरण

1. रेत खदान समूह का नाम :– सरगुजा A

(1.1) रेत खदान का नाम :– A-1 राधापुर (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हॉ	64N/5,6,9,10
2.	अक्षांश / देशांश –	(A) 22 43'56.53" N	(A) 83 28'23.59" E
		(B) 22 43'54.32" N	(B) 83 28'23.59" E
		(C) 22 43'53.87" N	(C) 83 28'16.64" E
		(D) 22 43'53.94" N	(D) 83 28'8.06" E
		(E) 22 43'55.33" N	(E) 83 27'59.92" E
		(F) 22 43'57.54" N	(F) 83 28'00.03" E
		(G) 22 43'55.95" N	(G) 83 28'6.27" E
		(H) 22 43'56.64" N	(H) 83 28'14.20" E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	हॉ	
5.	खसरा पांचसाला	हॉ	
6.	राजस्व नक्शा	हॉ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हॉ	

(1.2) रेत खदान का नाम :– A-2 प्रतापगढ़ (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हॉ	64N /6
2.	अक्षांश / देशांश –	(A) 22 43'59.87" N	(A) 83 28'48.71" E
		(B) 22 43'57.90" N	(B) 83 28'48.53" E
		(C) 22 43'57.45" N	(C) 83 29'12.82" E
		(D) 22 43'59.96" N	(D) 83 29'12.81" E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	हॉ	
5.	खसरा पांचसाला	हॉ	
6.	राजस्व नक्शा	हॉ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हॉ	

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर

2. रेत खदान समूह का नाम :– सरगुजा B

रेत खदान का नाम :– B-1 भवराडांड (5.00 हे.)

स.क्र.	विवरण	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	टोपोशीट नंबर –	हॉ	64 N/9
2.	अक्षांश/देशांश –	(A) 22 49'10.50" N	(A) 83 30'13.77" E
		(B) 22 49'11.71" N	(B) 83 30'15.98" E
		(C) 22 49'00.29" N	(C) 83 30'41.45" E
		(D) 22 48'58.43" N	(D) 83 30'40.41" E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राईज के दस्तावेज	100 रूपये प्रति घन मीटर	
4.	सीमांकन पंचनामा	हॉ	
5.	खसरा पांचसाला	हॉ	
6.	राजस्व नक्शा	हॉ	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हॉ	

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

दिनांक 16.08.2019 को सीलिंग प्राईज निर्धारित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.08.2019 को रेत लदान हेतु प्रति घ.मी. उच्चतम निर्धारित मूल्य/सीलिंग प्राईज (लोडिंग दर, रैम्प निर्माण, परिवहन मार्ग मरम्मत एवं अन्य व्यय) निर्धारित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपसंचालक (ख.प्र.) द्वारा जानकारी दी गई कि छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देश दिनांक 14.08.2019 के तहत् उक्त समस्त घोषित रेत खदानों को रिवर्स बीडिंग के माध्यम से लोडिंग हेतु NIT (Notice For Invitation Of Tender) जारी किया जाना है, जिसके लिये सीलिंग प्राईज भी निर्धारित किया जाना है। प्रथम चारण में NIT जारी किये जाने हेतु 03 खदानों को 02 समूहों में रखा गया है, जिसमें आज उपस्थित सदस्यों द्वारा सीलिंग प्राईज निर्धारित हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचार किया गया:–

ट्रेक्टर ट्राली को लोड़ करने में निम्नानुसार व्यय होगा:–

मद	लोडिंग हेतु वार्षिक रूप से होने वाला व्यय		लोडिंग हेतु मासिक रूप से होने वाला व्यय		2. प्रति ट्रिप पट्टेदार का लाभ		रिमार्क
	1.रेम्प एवं ऐप्रोच सड़क का निर्माण	1,80,000	1.रेम्प रिपेयरिंग 2.रेत खदान मुंशी 3.CCTV/Camera स्थापना/संचालन	20000 20000 20000	– ट्रेक्टर ट्राली	– 60 –	1. औसत कार्यदिवस माह में 25 दिन 2.प्रतिदिन औसत 50 ट्रेक्टर–ट्राली लोडिंग मानकर गणना की गई

प्रति घन मीटर सीलिंग प्राईज की गणना :– (रूपये में)

1. रेम्प एवं ऐप्रोच सड़क का निर्माण में खर्च प्रतिमाह 180000/12 2. रेम्प रिपेयरिंग प्रतिमाह 3. रेत खदान मुंशी पर प्रतिमाह 4. CCTV/Camera स्थापना/संचालन खर्च प्रतिमाह	= 15000.00 = 20000.00 = 20000.00 = 20000.00
खदान मेंटेनेंस व्यय प्रतिमाह–	**= 75000.00**
खदान मेंटेनेंस व्यय प्रतिदिन (75000/25 दिन) A) खदान मेंटेनेंस व्यय प्रतिघन मी0 3000/50*3 M^3 (ट्रेक्टर–ट्राली) B) लोडिंग व्यय प्रतिघन मी0 C) पट्टेदार का लाभ प्रतिघन मी0	= 3000 = 20.00 = 60.00 = 20.00
सीलिंग प्राईज (A+B+C)= 20+60+20	= **100.00**

PMO

(पूर्व पृष्ठ से):–

तद्नुसार उपस्थित सदस्यों द्वारा सीलिंग प्राईज 100 रूपये प्रति घ.मी. निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है।

उपस्थित समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरः–

1. श्री निर्मल तिग्गा
   अपर कलेक्टर ....
2. श्री अजय त्रिपाठी
   अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ....
3. श्रीमती सोनमति तिर्की
   अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ....
4. श्री हेमंत कश्यप
   जिला परिवहन अधिकारी ....
5. श्री प्रकाश कुमार सिन्हा
   लोक निर्माण विभाग ....
6. श्री जे.एस.चन्देल
   जल संसाधन विभाग ....
7. श्री मनोज तिवारी
   जिला कोषालयधिकारी ....
8. श्री बी.के. चन्द्राकर
   उप संचालक (ख.प्र.) ....

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक ....15/10/2015....

ग्राम-पंचायत राधापुर

विकास खण्ड सीतापुर तहसील सीतापुर जिला सरगुजा

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1.	श्री बोधराम - सरपंच श्री [illegible] अग्रवाल - उपसरपंच (श्रीमती) हेरामुनी - पंच श्री कैलाशसिंह - पंच	प्रस्ताव क्र. 22 रेत खदान घोषित करने के संबंध में।	आज दिनांक 13/10/2015 को सरपंच श्री बोधराम की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक के उपस्थित श्री कैलाश सिंह पंच के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत राधापुर मानु नदी से लगा हुआ है तथा नदी में काफी मात्रा में रेत उपलब्ध है, रेत खदान हेतु प्रस्तावित है अतः रेत खदान स्थल का ख. नं. 285 रकबा 5.000 हे. रकबे रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया। सचिव ग्राम पंचायत-राधापुर ज.पं.-सीतापुर,सरगुजा (छ.ग.)	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत-राधापुर ज.पं.-सीतापुर,सरगुजा (छ.ग.)	सही [illegible]

क्रमांक .... दिनांक .... सचिव सरपंच ग्राम पंचायत ....

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ ग)

पृष्ट क्रः 1 | तिथि: ३/१२/२०१५
भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

खसरा

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना ५ से ११ में खरीफ की जानकारी - की है
खाना ५ से ११ में रबी की जानकारी - की है

ग्राम राधापुर **हल्का** ०००१३ **रा.नि.मं.** सीतापुर **तहसील** सीतापुर **जिला** सरगुजा **वर्ष** २०१५-२०१६

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमिधारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम , लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
२८५	९.३०४ भू-जल ९.३०४										छत्तीसगढ़ शासन

Developed By NIC

भूमि क्रय विक्रय छोड़कर अन्य कार्य हेतु

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :
प्रभारी अधिकारी
भुइयां कार्यक्रम
... -सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

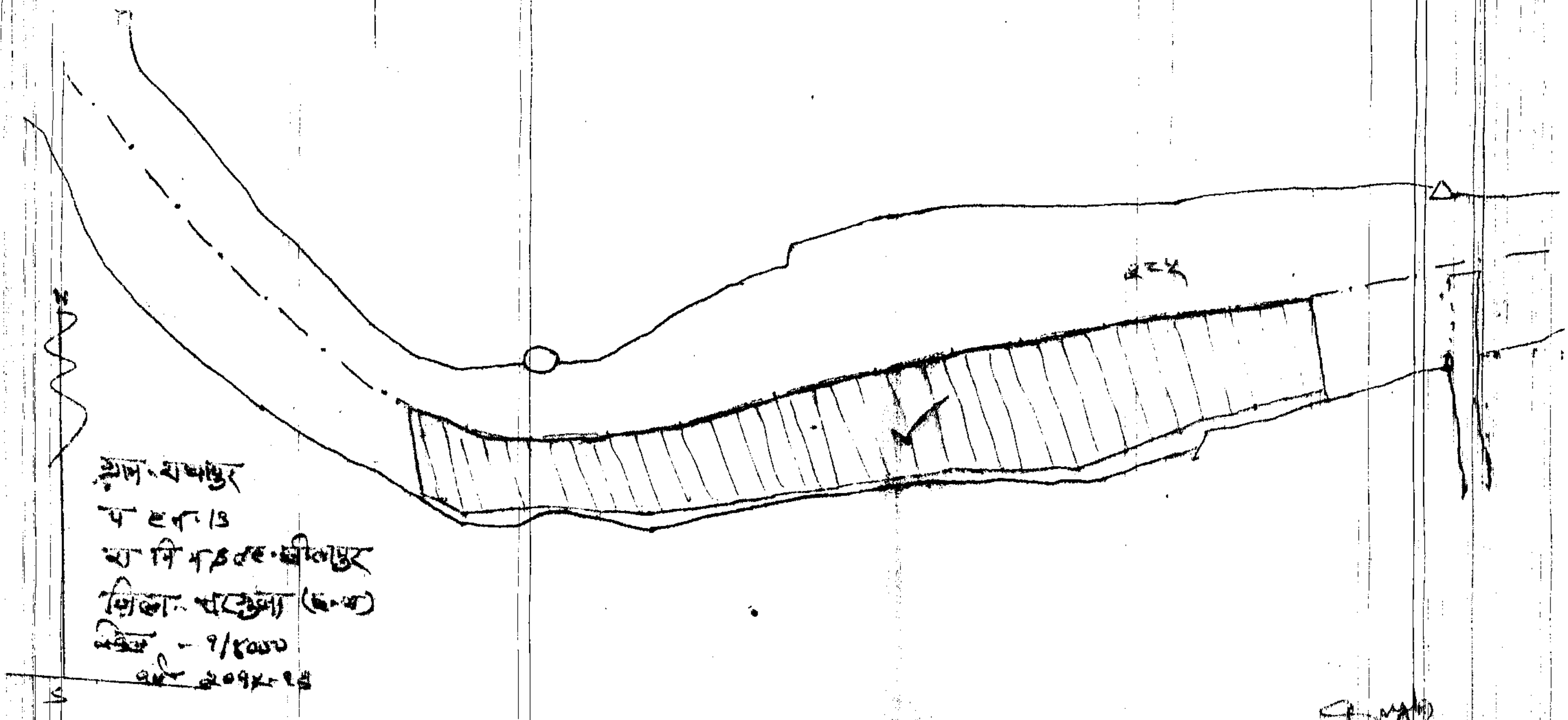

विवरण - [///] रेत खदान हेतु प्रस्तावित का रकबा 2.000 हे.

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

नाम, ग्राम-पंचायत प्रतापगढ़

विकास खण्ड सीतापुर तहसील जिला सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)

उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ
ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 345 —	प्रस्ताव क्र. 06 गाढ़ नदी ग्राम प्रतापगढ़ के खसरा नं. 1122 के रकबा 12.950 हे० में, रेत खदान के संबंध में	आज दिनांक 26.12.2013 को ग्राम सभा की बैठक श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रतापगढ़ के गाढ़ नदी में चल रहे रेत खदान की स्वीकृति पुनः नए सिरे से लेना आवश्यक है। पटवारी से नक्शा खसरा लिया जा चुका है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने आपस में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि पटवारी द्वारा प्रदाय नक्शा-खसरा पंचशाला अनुसार खसरा नं. 1122 रकबा 12.950 हे में से (15 हेक्टेयर) आसानी पूर्वक परिवहन किया जा सकता है कारण कि उक्त स्थल से किसी भी प्रकार से ग्रामवासी एवं अन्य किसी को असुविधा नहीं होगी। पुलिया एवं मेनरोड प्रस्तावित स्थल से 600 मीटर की दूरी पर है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित माध्यम से खनिज शाखा अम्बिकापुर को भेजा जाना तय हुआ। [illegible]	यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

सत्यप्रतिलिपि

सरपंच
ग्राम पंचायत—प्रतापगढ़
जनपद पंचायत—सीतापुर
जिला—सरगुजा (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत—प्रतापगढ़
जनपद पंचायत—सीतापुर
जिला—सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

क्र. 345 दिनांक 26.12.2013 ग्राम पंचायत ....

दिनांक :24-May-2019

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है

खाना 5 से 11 में रबी तथा खरीफ़ की जानकारी है

फॉर्म पी-II

(खसरा)

ग्राम : प्रतापगढ़ हल्का : 00013 रा नि : सीतापुर तहसील : सीतापुर जिला : सरगुजा वर्ष: 2018-19

भू-मापन क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम,उसके पिता का नाम या पति का नाम तथा निवास स्थान,अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई और देय राजस्व का लगान	*	क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान फसलें उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के क्षेत्रो में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	फसल का क्षेत्रफल	दु-फसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1122	12.9600 भू-जल	(1)शासकीय भूमि स्वामित्व - शासकीय भूमि							भू-जल (12.960)		छत्तीसगढ़ शासन #Error

जितेन्द्र सिंह राम
पटवारी ह.न.-19
रा.नि.म./तहसील-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

• किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौसमी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल

पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

प्रतिलिपि प्रदान करने वाले का हस्ताक्षर

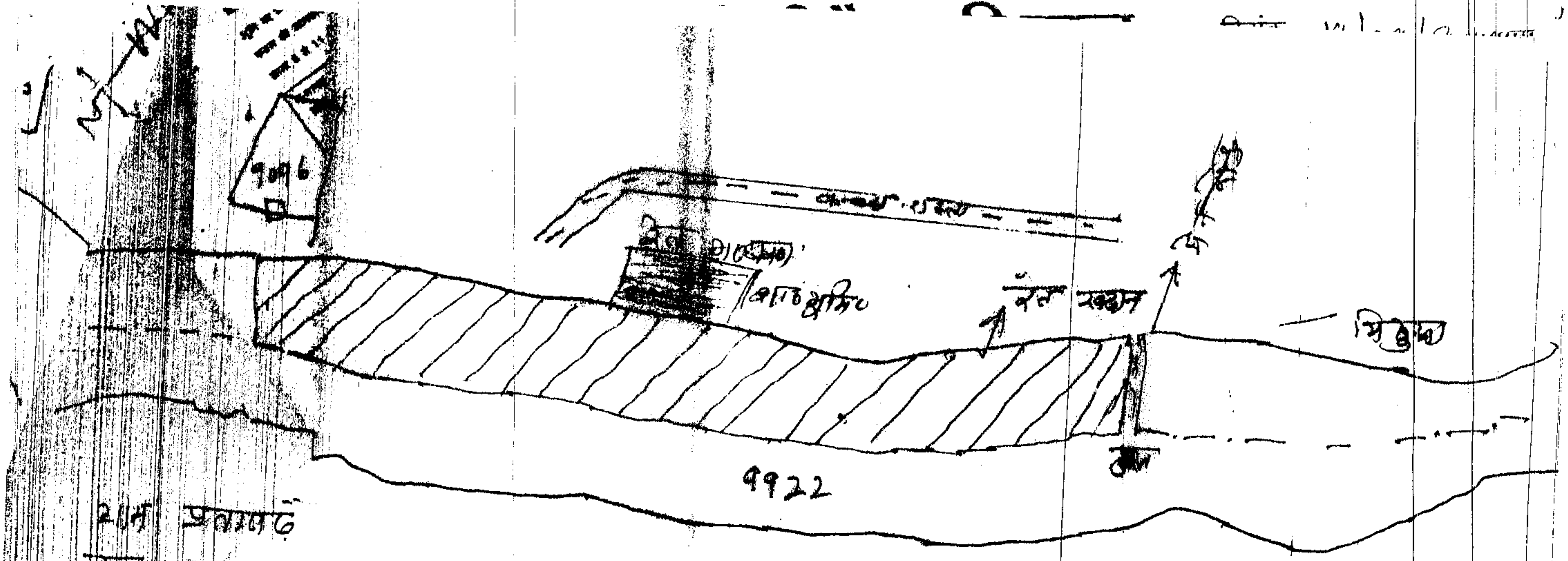

ग्राम प्रतापगढ़
प.ह.नं. 13
रा.नि.मं. सीतापुर
तह. सीतापुर
जिला - सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 18/09/2015

कार्यालय, ग्राम-पंचायत भवराडांड

विकास खण्ड सीतापुर तहसील सीतापुर जिला सरगुजा

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के ह
1 221	सरपंच श्री बोधन लाल एवं उपस्थित सदस्य संख्या 221	प्र. क्र. 1 रेत उत्खनन करने बाबत	आज दिनांक 18/09/2015 को ग्राम पंचायत भवराडांड में शासन के आदेशानुसार ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि माण नदी में खसरा नम्बर 448 में से 5 हेक्टेयर भूमि पर नदी में रेत उत्खनन कराया जाये जिससे सभी को रेत की समस्या दूर होगी। अतः ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात् खसरा नम्बर 448 रकबा 8.903 में से 5 हेक्टेयर भूमि पर नदी से रेत उत्खनन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तावित है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	

सचिव
ग्राम पंचायत-भंवराडांड
जनपद पंचायत-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-भवराडांड
जनपद पंचायत-सीतापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक ..../..../............ दिनांक 18/09/2015 सचिव सरपंच ग्राम पंचायत भवराडांड

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा, अम्बिकापुर
(छ.ग.)

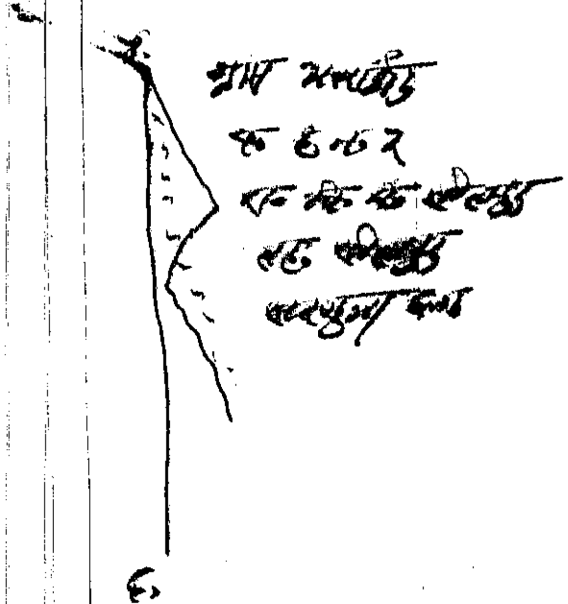

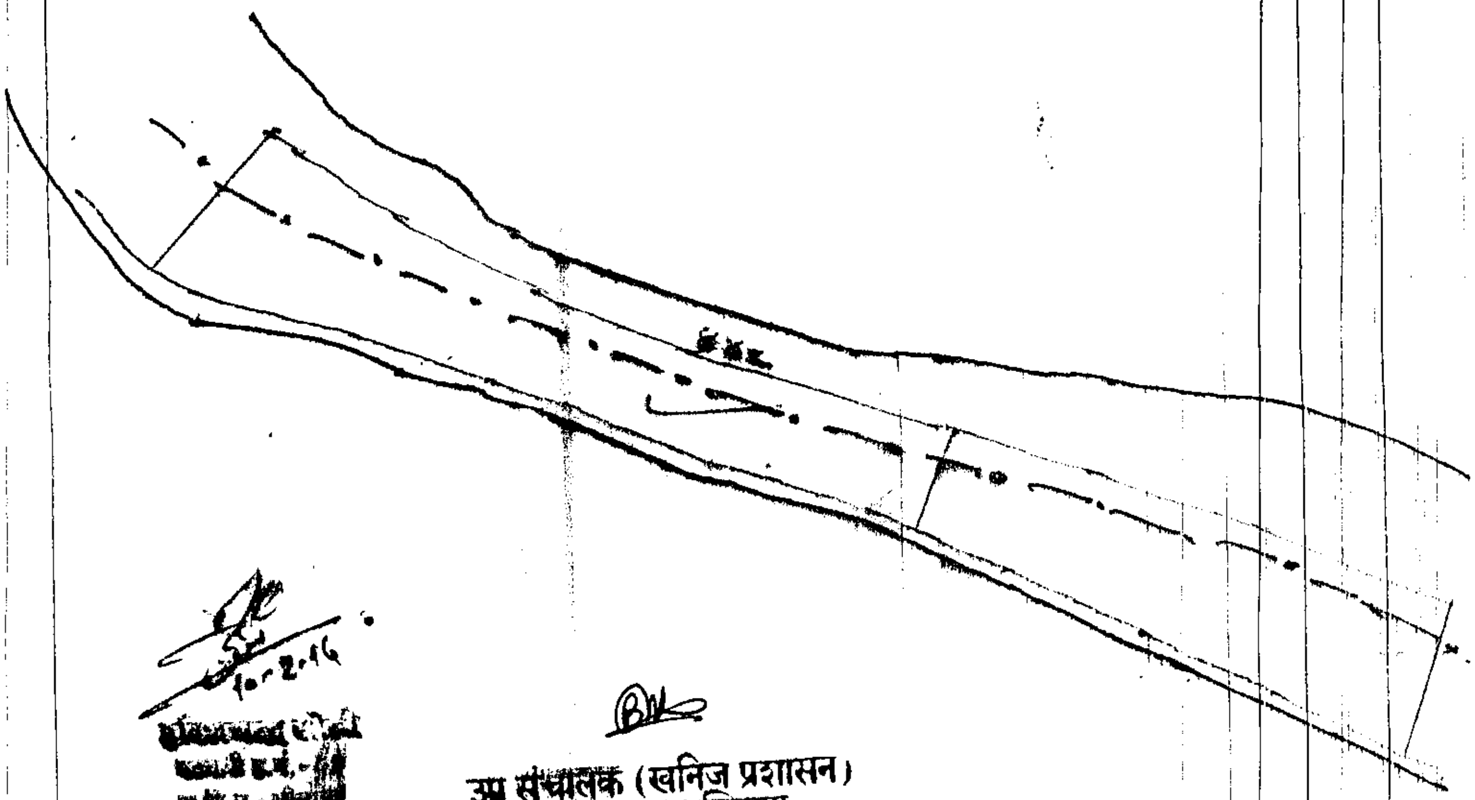

10-2-16

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ.ग.)

तिथि ६/२/२०१६

पृष्ठ क्र: 1

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

खसरा

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है

खाना ५ से ११ में खरीफ की जानकारी - की है

खाना ५ से ११ में रबी की जानकारी - की है

वर्ष २०१५-२०१६

ग्राम भथराड़ाड़ हल्का ०००२ रा.नि.मं. सीतापुर तहसील सीतापुर जिला सरगुजा

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमिधारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम , लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल लगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
४४८	८.९०३ ८.९०३			कुल सिं अ							छ.ग.शासन

Developed By NIC

प्रतिलिपिकर्ता के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :

खसरा क्र. ४४८ के रकबा ५.००० है. [illegible]
लिए उत्खनन हेतु प्रस्तावित है।

हरिशचन्द्र सोनी
पटवारी ह.नं.-02
रा.नि.म.-सीतापुर
तह.-सीतापुर,सरगुजा (छ.ग.)

प्रभारी अधिकारी (छ.ग.)

भूमि विक्रय छोड़कर अन्य कार्य हेतु

प्रभारी अधिकारी
भुइया मायाराम
तह.-सीतापुर,सरगुजा (छ.ग.)

उप संचालक (खनिज प्रशासन)
जिला-सरगुजा,अम्बिकापुर
(छ ग)